बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत रब्बी विपणन मौसम 2018–19 में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम (05, अप्रैल, 2018 से 30, जून 2018) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर स्वीकृत कुल 2,500.00 करोड़ रूपये (दो हजार पॉच सौ करोड़ रूपये) बैंक गारंटी की राशि में से 500.00 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी का उपयोग रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग अंतर्गत कार्यरत प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल/पैक्स के माध्यम से किया जाना है। जिस प्रखंड में व्यापार मंडल क्रियाशील नही है, वहॉ सक्षम पैक्स के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति किये जाने हेतु अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा सीधे ऑनलाईन पंजीकृत किसानो से गेहूँ का क्रय कर राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम के गेहूँ अधिग्रहण केन्द्रों पर जमा किया जाना है। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये गेहूँ का मूल्य प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र से RTGS/NEFT/PFMS के माध्यम से क्रय के पश्चात तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर सक्षम पैक्स को स्थानीय व्यवस्था के तहत सम्बद्धता की व्यवस्था की जानी है, ताकि किसानों को गेहूँ बिक्री हेतु कोई असुविधा न हो।

2. रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अंतर्गत राज्य के किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य 02 लाख मे0टन निर्धारित किया गया है एवं निर्णय लिया गया है कि राज्य के पंजीकृत किसानों से अधिक से अधिक निर्धारित सीमा अंतर्गत उनके द्वारा उत्पादित गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाय।

3. मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 1760 दिनांक 06.04.2018 द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्य योजना एवं दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 05.04.2018 से 30.06.2018 तक प्रभावी रहेगा।

4. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य के नोडल अभिकरण, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पत्रांक 5343 दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 हेतु क्रियाशील पूँजी के रूप में स्वीकृत कुल 2500 करोड़ रूपये बैंक गारंटी में से 500 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी का उपयोग रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु करने का प्रस्ताव दिया गया है।

5. खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 हेतु क्रियाशील पूँजी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प सं0 597 दिनांक 05.02.2018 द्वारा कुल 2500 करोड़ रूपये बैंक गारंटी स्वीकृत की गयी है। रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 में राज्य के पंजीकृत किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति किये जाने के लिए दिनांक 23.03.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक क्रियाशील पूँजी खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 के लिए स्वीकृत बैंक गारंटी में से अवशेष 1000 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 में किया जायेगा।

6. राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्ति कार्यक्रम 2017–18 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में नामित बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को कार्यशील पूंजी के रूप में 2000 करोड़ रूपये की ही आवश्यकता होगी।

7. खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 अंतर्गत 12 लाख मे0टन के करीब धान अधिप्राप्ति किये जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में धान/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति हेतु राज्य के नोडल अभिकरण, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में स्वीकृत कुल 2500 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी में से 500 करोड़ रूपये रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 में गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु उपयोग किये जाने में नोडल अभिकरण को कठिनाई नहीं होगी।

8. खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को स्वीकृत कुल 2,500 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी की राशि वित्तीय संकल्प सं0 597 दिनांक 05.02.2018 द्वारा मात्र धान अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ही मान्य करते हुए उपर्युक्त गारंटी को 31.03.2019 तक प्रभावी किया गया है। ऐसी स्थिति में रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 अंतर्गत उक्त राशि से 500 करोड़ रूपये बैंक गारंटी का उपयोग गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु किये जाने के लिए उपर्युक्त गारंटी 31.03.2019 ही प्रभावी रहेगा तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की पूर्ण जिम्मेवारी होगी कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु उपयोग किये जाने वाले 500 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी के विरूद्ध ऋण को भी संबंधित बैकों को ससमय वापस कर दिया जायेगा।

9. खरीफ विपणन मौसम 2017–18 हेतु विभिन्न व्यावसायिक बैंको से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर प्राप्त किये जाने वाले कुल 2500 करोड़ रूपये ऋण की राशि में से रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 में गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु उपयोग किये जाने वाले कुल 500 करोड़ रूपये की राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पृथक स्क्रो (Eschrow) खाते में संघारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संघारित किया जायेगा।

10. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत रब्बी विपणन मौसम 2018–19 में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम (05, अप्रैल, 2018 से 30, जून 2018) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर स्वीकृत कुल 2,500.00 करोड़ रूपये (दो हजार पॉच सौ करोड़ रूपये) बैंक गारंटी की राशि में से 500.00 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी का उपयोग रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

08/6 (चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–01/2018– 2760 खाद्य, पटना/दिनांक–08/06/18

प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

08/6/18 सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–01/2018– 2760 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/06/18
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं सहकारिता विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–01/2018– 2760 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/06/18
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय,आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–01/2018– 2760 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/06/18
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित निर्णय के यथानुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–01/2018– 2760 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/06/18
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक 05.06.2018 में मद संख्या–20** के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–01/2018– 2760 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/06/18
प्रतिलिपि – सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–01/2018– 2760 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/06/18
प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।
08/6/18